रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2886] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2016/अग्रहायण 16, 1938
No. 2886] NEW DELHI, WEDNESDAY DECEMBER 7, 2016/AGRAHAYANA 16, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3674(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा "पेट्रालियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड" को उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए तथा इस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में भारत सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड के रूप में अधिसूचित करती है यथा:—

(i) केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान।

(ii) प्राप्त अन्य अनुदान, शुल्क, दंड प्रभार।

(iii) ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल राशि जिसे केंद्र सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 38 और 39 के अनुसार अनुमोदित करे: और

(iv) जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना आंकलन वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना इस शर्त के साथ लागू होगी कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड-

(क) किसी वाणिज्यिक क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा।

(ख) इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति में पूरे वित्तिय वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होगा और

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (छ) के अनुसार अपना आयकर रिटर्न भरता रहेगा।

[अधिसूचना सं. 112/2016/फा०सं० 196/19/2013-आईटीए-I)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक